

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-BRRDA(HQ)-MMGSY-433/17 643

/ पटना, दिनांक- 27.7.18

प्रेषक,

संजय कुमार, भा०प्र०से०
अपर सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (सामान्य)-लघु शीर्ष-103 - ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष-0113, अनुसूचित जाति-लघु शीर्ष-789 ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष-0104 एवं अनुसूचित जनजाति-लघु शीर्ष-796 ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष-0109 मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निम्न योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु सूची के स्तम्भ-9 में अंकित राशि की पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर के वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पथ निर्माण की कुल 23 अदद योजनाओं के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-9 में अंकित राशि की पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

Sl No.	Division	Block	Category	Name of Road	Priority no of core network	Length (In km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Samastipur	Kalyanpur	SC	Hanuman Mandir ke Nazdik To Muslim Tola Madarsa Hote Hue Shanti Nadi Tak	72	0.820	500	42.030
2	Samastipur	Kalyanpur	SC	Kudwa Pachmi Tol Harijan Tola Tak	69	0.990	577	62.130
3	Samastipur	Kalyanpur	SC	MMGSY Path Pukar Paswan ke Ghar ke Nazdik To Prathmik School Hariharpur Hindi	97	0.830	255	53.860
4	Samastipur	Kalyanpur	SC	To 5 Ladhora Middle School Se Ladhora Pachim Tola Hote Hue To Ladhora Uattri Tola Ram Govimd Singh ke Ghar Tak	57	1.690	726	107.290
5	Samastipur	Kalyanpur	SC	L038 Prathmik Vidyalaya Sedhi To Paltan Mahto ke Ghar Hote Hue Vashudevpur Kalu Das ke Ghar Tak	93	0.480	300	33.250
6	Samastipur	Kalyanpur	SC	T01 (Levin Chowk) To Dass Tola	81	1.270	400	88.580
7	Samastipur	Kalyanpur	SC	Shanti Nadi ke Najdik To Panchayat Bhawan Hote hue Balha Tola Tak	75	2.890	490	196.520
			Total			8.970		583.660

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

31/7

Sl No.	Division	Block	Category	Name of Road	Priority no of core network	Length (In km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Samastipur	Khanpur	SC	L067 to Milki Tinbatti Kadam ke ped tak	18	0.800	1992	49.530
9	Samastipur	Khanpur	SC	L021 Bagicha se To Mujari (Gachhi)	62	0.730	500	53.240
10	Samastipur	Khanpur	SC	T01 Ilmasnagar Kishanpur Path me Uttar Paschim to Bhupatpur (Kuswaha Tol)	66	1.560	446	87.680
11	Samastipur	Khanpur	SC	T03 to Simri Navsrijit Vidyalya	35	0.520	1249	37.120
12	Samastipur	Khanpur	SC	T01 Ilmasnagar Kishanpur Path me Gulab Chowk se Purab se To Mahadalit Tola	38	0.750	1199	50.860
13	Samastipur	Khanpur	SC	T01 Dakari Jahangirpur To Mahadalit Tola	16	0.420	2080	29.010
14	Samastipur	Khanpur	SC	L025 Gudar Ghat Sahni Tola to Yadav Tola Water Ways Bandh	39	0.510	1195	35.640
15	Samastipur	Khanpur	SC	L064 Hanuman Mandir to Mahadalit Tola	41	1.900	1133	127.700
			Total			7.190		470.780
16	Samastipur	Samastipur	SC	T01 to Maslanchak Mushari	34	0.490	669	33.170
			Total			0.490		33.170
17	Samastipur	Tajpur	SC	T01 Sarwarganj se To Noon Nadi Pul tak Via Utkramit Madhya Vidyalya Badhai Tola	34	0.650	563	49.720
18	Samastipur	Tajpur	SC	T05 Transfermer se To Asari	18	0.970	653	67.860
			Total			1.620		117.580
19	Samastipur	Warisnagar	SC	Mohiddinpur Ward 3 Kusheswar Ram Ke Ghar To Ekdwari L042 Tak	51	0.960	894	65.950
20	Samastipur	Warisnagar	SC	Bal Govind Jha Ke Ghar to S047 tak	81	3.100	576	175.040
21	Samastipur	Warisnagar	SC	Ram Shresth Singh gram Sekhopur ke ghar to Ramchandra Mahto ke ghar (Malhipur) tak Via U.M. Vidyalya	74	1.690	637	116.120
22	Samastipur	Warisnagar	SC	Raipur Chowk S01 Braham Asthan se To Purbi Tola Chunu Paswan ke ghar tak	12	0.380	1356	26.440
23	Samastipur	Warisnagar	SC	L031B se To High School Lakhanpatti tak	55	0.640	877	44.320
			Total			6.770		427.870

2. विभागीय सचिव द्वारा दिनांक **13.07.2018** को निम्न शर्तों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है :-

- इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष, अर्थात् वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **समस्तीपुर** योजनाओं के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- स्वीकृत योजनाओं की प्रविष्टि State Core Network के मानचित्र पर भी कर लिया जायेगा।
- कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **समस्तीपुर** सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।

5-11

3. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **समस्तीपुर** योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
4. कार्य ई-निविदा के माध्यम से Standard Biding Document के आधार पर कराया जायेगा।
5. कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी। किये गये कार्यों का भुगतान गुणवत्ता के जाँच फल के गुण-दोष के आधार पर किया जायेगा।
6. कार्यों का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना की मार्गदर्शिका के आलोक में किया जायेगा।
7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
8. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (सामान्य)-लघु शीर्ष-103 - ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष-0113, अनुसूचित जाति-लघु शीर्ष-789 ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष-0104 एवं अनुसूचित जनजाति-लघु शीर्ष-796 ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष-0109 मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
10. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **समस्तीपुर** द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच ता0 तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
11. इन योजनाओं की स्वीकृति, सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक 13.07.2018 को संचिका संख्या BRRDA(HQ)-MMGSY-433/17 के पृष्ठ-40/टि0 पर प्राप्त है।
12. प्रस्तावित योजना के लिए बजटीय उपबंध वर्ष 2017-18 में किया गया है, जिसकी निकासी कर PL खाता में रख दिया गया है। इसी राशि से इस योजना का कार्यान्वयन कराया जाएगा।
13. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन कि विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अन्तराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।
17. वित्त विभाग की संकल्प पत्रांक-एम० 4-53/2007-3758 वि०, दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय।
18. यह आदेश वित्त विभाग की संकल्प पत्रांक-एम० 4-53/2007-3758 वि०, दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-4 (क) में निहित प्रावधान के आलोक में एवं BRRDA(HQ)-MMGSY-433/17 के पृष्ठ-40/टि0 पर दिनांक 13.07.2018 को विभागीय सचिव के आदेशानुसार आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-MMGSY-433/17 पृष्ठ संख्या-43/टि0 पर दिनांक 23.7.18 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(संजय कुमार)

ज्ञापांक: BRRDA(HQ)-MMGSY-433/17 643

/पटना, दिनांक- 27.7.18

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/उपविकास आयुक्त, समस्तीपुर/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-3, पटना/मुख्य अभियंता-4/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, समस्तीपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Manager, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(संजय कुमार)